हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।

2. निरसन और व्यावृत्तियां।

————————

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 40)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 सितम्बर, 2011 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 29 सितम्बर, 2011 को पृष्ठ संख्या 3344 से 3346 पर प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 10) का निरसन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 2011 है।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–(1) हिमाचल प्रदेश अग्रक्रय अधिनियम, 2010 (2011 का 10) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन–

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई;

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन पारित किसी डिक्री और जो अंतिम हो गई हो;

————————————

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित उद्देशयों और कारणों के विवरण के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 26 अगस्त, 2011 पृष्ठ संख्या 2501 और 2502 देखें।

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किए गए निक्षेप के प्रतिदाय हेतु किसी दावे या दी गई किसी प्रतिभूति; या

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन लागत के निर्वहन में उपगत किसी व्यय को, प्रभावित नहीं करेगा।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन, निष्पादन कार्यवाहियों सहित समस्त दावे, अपीलें और अन्य कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएंगी, मानो यह अधिनियम निरसित न किया गया हो।